

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर  
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प... जिला... सीकर

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के बयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम... प0ह0... तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत्... में खाता संख्या... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1-	लाकिया / लाकियां	174	सेडुराम	सीराराम उर्फ सेडुराम जिमीनी न्यायालय का स्वगन न एट नॉ दर्ज रिकार्ड करें।

(राजेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर  
दिनांक:- 06/12/21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 478  
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री..... को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा  
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर